संख्या-129/2018/1363/6-पु-7-2018-47/2017टीसी

प्रेषक,

एस0पी0उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मख्यालय,
इलाहाबाद

गृह (पुलिस) अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 08 अगस्त, 2018

विषय- कुम्भ मेला-2019 के दौरान किसी आपदा की स्थिति में बचाव, उपकरणों इत्यादि हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या:बजट-3/ख-85(कुम्भ मेला)-2018 दिनांक 16.05.2018, 29.05.2018 एवं 22.06.2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला-2019 के दौरान किसी आपदा की स्थिति में बचाव, उपकरणों इत्यादि हेतु शासनादेश संख्या-81/2018/1141/6-पु0-7-2018-47/2017टीसी दिनांक 07.05.2018 एवं शासनादेश संख्या-85/2018/1274/6-पु0-7-2018-47/2017टीसी दिनांक 21.05.2018 द्वारा स्वीकृत धनराशि/उपकरणों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है-

(1) शासनादेश दिनांक 21.05.2018 द्वारा यातायात निदेशालय (आई0टी0एम0एस0) हेतु स्वीकृत रू0 5.00 करोड धनराशि के सापेक्ष जल पुलिस के नये कार्य **डीप वाटर बेरीकेडिंग एवं रिवर लाइन** हेतु रू0 3.37 करोड तथा शेष धनराशि रू0 1.63 करोड स्मार्ट सिटी लि0 इलाहाबाद के निवर्तन रखा जाए।

(2) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु वायरलेस/रेडियो संचार (पीटीजेड सीसीटीवी) हेतु स्वीकृत क्रमश: रू0 18.00 करोड एवं 6.00 करोड कुल रू0 24.00 करोड एवं यातायात निदेशालय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधानित रू0 5.00 करोड में से शेष रू0 1.63 करोड(कुल धनराशि रू0 25.63 करोड) कुम्भ मेला हेतु बनाये जा रहे मास्टर सिस्टम इन्टीग्रेटेड/ कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर हेतु स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इलाहाबाद के निवर्तन पर रखा जाय।

(3) वाटर मिक्स टनर हाई प्रेसर टाटा 207 टंकी 500 लीटर टैंक क्षमता के स्थान पर टनर वाहन विद मिस्ट टेक्नोलॉजी युक्त वाटर मिक्ट टनर हाई प्रेसर टाटा 207 टंकी 500 लीटर टैंक क्षमता को किया जाय।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07.05.2018 एवं 21.05.2018 इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय। कुम्भ मेला-2019 हेतु उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2018 से पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय
एस0पी0उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-129/2018 /1363(1)/6-पु0-7-2018 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, राजस्व उ0प्र0 शासन।
4- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद
6- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
7- अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी/इलाहाबाद जोन/यातायात/दूरसंचार/फायर सर्विस, लखनऊ।
8- पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिसअधीक्षक कुम्भ मेला इलाहाबाद।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
10- सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
11- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनभाग-1/2
12- गार्ड फाइल हेतु/संबधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से
एस0पी0उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।